अनुदान संख्या 35 – राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अंतरण
GRANT No. 35–TRANSFERS TO STATE AND UNION TERRITORY GOVERNMENTS

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

				कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
राजस्व:	**Revenue:**					
प्रभारित-	*Charged–*			*30087,50,00*	*26339,15,71*	*–3748,34,29*
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*					*3748,34,29*
स्वीकृत-	Voted–					
मूल	Original	37574,20,00		53934,08,00	52452,77,84	–1481,30,16
पूरक	Supplementary	16359,88,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					54,67,89
पूंजीगत:	**Capital:**					
प्रभारित-	*Charged–*					
मूल	*Original*	*4286,50,00*		*7421,17,00*	*6421,02,22*	*–1000,14,78*
पूरक	*Supplementary*	*3134,67,00*				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*					*14,78*

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग के *प्रभारित* अंश में, बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईं:-

Notes and comments

1. In the *charged* portion of the revenue section of the grant, savings occurred under the following major head:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष ''3601'' राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head “3601” Grants-in-aid to State Governments				
मू.	*O.*	*3008750.00*	*2633915.71*	*2633915.71*	. .
पु.	*R.*	*–374834.29*			

(I) *"योजनेतर अनुदान - संविधान के अनुच्छेद 275(1) के परंतुक के अधीन अनुदान''* के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईः-

(का) *''सेवाओं के उन्नयन और विशेष समस्याओं के लिए अनुदान'' - 4054.66 लाख* रु. की बचत (*5000.00 लाख* रु. के स्वीकृत *विनियोग* की तुलना में) हुई;

(खा) *''आपदा राहत निधि को अंशदान'' - 12320.00 लाख* रु. की बचत (*296686.00 लाख* रु. के स्वीकृत *विनियोग* की तुलना में) हुई;

(गा) ''स्थानीय निकायों को अनुदान'' - 119690.40 लाख रु. की बचत (*581129.00 लाख* रु. के स्वीकृत *विनियोग* की तुलना में) हुई; और

(घा) *''शिक्षा क्षेत्रा के लिए सहायता अनुदान'' - 93127.50 लाख* रु. की बचत (*201784.00 लाख* रु. के स्वीकृत *विनियोग* की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त चार शीर्षों के अंतर्गत बचतें राज्य सरकारों द्वारा उपयोग प्रमाणपत्रा प्रस्तुत न किए जाने के कारण हुई।

(ङ) *''स्वास्थ्य क्षेत्रा के लिए सहायता अनुदान'' - 49122.50 लाख* रु. की बचत (*116369.00 लाख* रु. के स्वीकृत *विनियोग* की तुलना में) हुई;

(चा) *''सड़कों और सेतुओं के रख-रखाव के लिए सहायता अनुदान'' - 11327.00 लाख* रु. की बचत (*375000.00 लाख* रु. के स्वीकृत *विनियोग* की तुलना में) हुई;

(छा) *''सार्वजनिक भवनों के रख-रखाव के लिए सहायता अनुदान'' - 26793.50 लाख* रु. की बचत (*125000.00 लाख* रु. के स्वीकृत *विनियोग* की तुलना में) हुई; और

(जा) *''विरासत के संरक्षण के लिए सहायता अनुदान'' - 1204.68 लाख* रु. की बचत (*15625.00 लाख* रु. के स्वीकृत *विनियोग* की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त चार शीर्षों के अंतर्गत बचतें लाभार्थी राज्यों द्वारा बारहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित की गई शर्तों को पूरा न किए जाने के कारण हुई।

(1) Under *"Non-Plan Grants-Grants under the Proviso to Article 275(1) of the Constitution"* - savings occurred under the following heads:-

(A) *"Grants for upgradation of Services and special problems*" - saving of *Rs.4054.66 lakhs* (against the sanctioned *appropriation* of *Rs.5000.00 lakhs*);

(B) *"Contribution to Calamity Relief Fund"* - saving *of Rs.12320.00 lakhs* (against the sanctioned a*ppropriation* of *Rs.296686.00 lakhs*);

(C) *"Grants for Local Bodies"* - saving of *Rs.119690.40 lakhs* (against the sanctioned *appropriation* of *Rs.581129.00 lakhs*); and

(D) *"Grants-in-aid for Education Sector"* - saving of *Rs.93127.50 lakhs* (against the sanctioned *appropriation* of *Rs.201784.00 lakhs*).

Savings under the above four heads were due to non-submission of utilisation certificate by the State Governments.

(E) *"Grants-in-aid for Health Sector"* - saving of *Rs.49122.50 lakhs* (against the sanctioned *appropriation* of *Rs.116369.00 lakhs)*;

(F) *"Grants-in-aid for Maintenance of Roads and Bridges"* - saving of *Rs.11327.00 lakh*s (against the sanctioned *appropriation* of *Rs.375000.00 lakhs*);

(G) *"Grants-in-aid for Maintenance of Public Buildings"* - saving of *Rs.26793.50 lakhs* (against the sanctioned *appropriation* of *Rs.125000.00 lakhs*); and

(H) *"Grants-in-aid for Heritage Conservation"* - saving of *Rs.1204.68 lakhs* (against the sanctioned *appropriation* of *Rs.15625.00 lakhs*).

Savings under the above four heads were due to non-fulfillment of conditions laid down by Twelfth Finance Commission by the beneficiary States.

(झा) *''वनों के रख-रखाव के लिए सहायता अनुदान''* - *4063.10 लाख* रु. की बचत (*22100.00 लाख* रु. के स्वीकृत *विनियोग* की तुलना में) केरल सरकार द्वारा कार्य योजना प्रस्तुत न किए जाने के कारण हुई।

(I) *"Grants-in-aid for Maintenance of Forests"* - saving of *Rs.4063.10 lakhs* (against the sanctioned *appropriation* of *Rs.22100.00 lakhs*) was due to non-submission of action plan by the Government of Kerala.

(ञ) *''राज्य विशिष्ट की आवश्यकताओं के लिए सहायता अनुदान''* - *53130.95 लाख* रु. की बचत (*177842.00 लाख* रु. के स्वीकृत *विनियोग* की तुलना में) राज्य सरकारों द्वारा कार्य योजना और उपयोग प्रमाणपत्रा प्रस्तुत न किए जाने के कारण हुई।

(J) *"Grants-in-aid for States Specific Needs"* - saving of *Rs.53130.95 lakhs* (against the sanctioned *appropriation* of *Rs.177842.00 lakhs*) was due to non-submission of action plan and utilisation certificates by the State Governments.

2. अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

2. In the voted portion of the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
मुख्य शीर्ष ''2075'' विविध सामान्य सेवाएं	Major Head "2075" Miscellaneous General Services				
मू.	O.	10000.00			
पू.	S.	749176.00	754011.11	754011.11	. .
पु.	R.	–5164.89			
मुख्य शीर्ष ''2245'' प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत	Major Head "2245" Relief on Account of Natural Calamities		360000.00	217337.73	–142662.27
मुख्य शीर्ष ''3601'' राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3601" Grants-in-aid to State Governments				
मू.	O.	3354920.00			
पू.	S.	886812.00	4241429.00	4241429.00	. .
पु.	R.	–303.00			

(I) मुख्य शीर्ष ''3601'' - ''राज्य योजना स्कीमों के लिए अनुदान - एकमुश्त अनुदान - सामान्य केंद्रीय सहायता'' के अंतर्गत 1540802.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को नवंबर, 2007 में 150000.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 1690802.00 लाख रु. कर दिया गया।

(I) Under Major Head "3601" - "Grants for State Plan Schemes- Block Grants - Normal Central Assistance" - the original provision of Rs.1540802.00 lakhs was augmented to Rs.1690802.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.150000.00 lakhs in November, 2007.

तथापि, 244600.90 लाख रु. की बचत (पूरक अनुदान सहित) राज्य सरकारों के पास पिछले वर्षों का अव्ययित शेष उपलब्ध होने के कारण हुई।

(II) नवंबर, 2007 और मार्च, 2008 में प्राप्त किया गया पूरक अनुदान प्रत्येक के सामने दर्शाई गई सीमा तक अप्रयुक्त रहा:-

(का) मुख्य शीर्ष ''2075'' - ''अशोध्य कर्ज बट्टे खाते डाला जाना - राज्य सरकारों का कर्ज बट्टे खाते डाला जाना'' के अंतर्गत 10000.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 476328.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 486328.00 लाख रु. कर दिया गया तथापि, जो झारखंड की राज्य सरकार के लिए ऋण का अधित्याग किए जाने को स्वीकृति प्रदान न किए जाने के कारण 5164.89 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(खा) मुख्य शीर्ष ''3601'' - ''राज्य योजना स्कीमों के लिए अनुदान - एकमुश्त अनुदान'' -

(क) ''अन्य परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त केंद्रीय सहायता'' - 114000.00 लाख रु. की निधियां पूरक अनुदान प्राप्त करके उपलब्ध कराई गईं थी तथापि, जो योजना आयोग से कम प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण 4136.04 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहीं।

(ख) ''त्वरित विद्युत विकास कार्यक्रम'' - 80000.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 100000.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 180000.00 लाख रु. कर दिया गया, तथापि, जो स्कीम का अंतरण राज्य योजना से केंद्रीय योजना को किए जाने के कारण 40000.00 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(ग) ''अन्नपूर्णा सहित राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम'' - 239191.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 49955.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 289146.00 लाख रु. कर दिया गया तथापि, जो ग्रामीण विकास मंत्रालय से कम प्रस्ताव

However, there was a saving of Rs.244600.90 lakhs (including supplementary grant) - due to availability of unspent balance of previous years with the State Governments.

(II) Supplementary grants obtained in November, 2007 and March, 2008 under the following major heads remained unutilised to the extent as shown against each:-

(A) Major Head "2075" - "Irrecoverable Loans Written off-Loans to State Governments Written off " - the original provision of Rs.10000.00 lakhs was augmented to Rs.486328.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.476328.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.5164.89 lakhs - due to non-sanctioning of debt waiver for State Government of Jharkhand.

(B) Major Head "3601" – "Grants for State Plan Schemes – Block Grants" -

(a) "Additional Central Assistance for Other Projects" - funds of Rs.114000.00 lakhs were provided by obtaining supplementary grant which, however, remained unutilised to the extent of Rs.4136.04 lakhs - due to receipt of less proposals from Planning Commission.

(b) "Accelerated Power Development Programme(APDRP)" - the original provision of Rs.80000.00 lakhs was augmented to Rs.180000.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.100000.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.40000.00 lakhs - due to transfer of scheme from the State Plan to the Central Plan.

(d) "National Social Assistance Programme including Annapurna" - the original provision of Rs.239191.00 lakhs was augmented to Rs.289146.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.49955.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of

प्राप्त होने के कारण 4008.59 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(घ) ''जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन'' - 498750.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 50178.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 548928.00 लाख रु. कर दिया गया, तथापि, जो हटाई जाने वाली स्कीम के चार घटकों के अंतर्गत विभाजन के परिणामस्वरूप हुई बचत के कारण 128.01 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(III) मुख्य शीर्ष ''2245'' - ''सामान्य - राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि से राज्यों को सहायता - गंभीर स्वरूप की आपदाओं के लिए राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि से राज्यों को सहायता'' के अंतर्गत 142662.27 लाख रु. की बचत (180000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) उच्च स्तरीय समिति द्वारा अनंतिम आधार पर वर्ष 2006-07 के दौरान जारी की गई निधियों का समायोजन किए जाने के कारण हुई।

(IV) मुख्य शीर्ष ''3601'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) ''योजनेतर अनुदान - सामाजिक सेवाएं - धार्मिक स्थलों, मंदिरों आदि का रख-रखाव - स्वर्ण मंदिर परिसर के विकास के लिए सहायता'' - 210.00 लाख रु. की बचत (2750.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) गृह मंत्रालय से कम प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

(खा) ''राज्य योजना स्कीमों के लिए अनुदान - एकमुश्त अनुदान'' -

(क) ''किशोरियों के लिए पोषण कार्यक्रम'' - 10248.39 लाख रु. की बचत (16277.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) महिला और बाल कल्याण मंत्रालय से कम प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

(ख) ''राष्ट्रीय ई-अभिशासन कार्य योजना'' - 23164.30

Rs.4008.59 lakhs - due to receipt of less proposals from the Ministry of Rural Development.

(e) "Jawahar Lal Nehru National Urban Renewal Mission" - the original provision of Rs.498750.00 lakhs was augmented to Rs.548928.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.50178.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.128.01 lakhs - due to fraction under the four components of the scheme being removed resulting in saving.

(III) Under Major Head "2245" - "General - Assistance to States from National Calamity Contingency Fund-Assistance to States from National Calamity Contingency Fund for Calamities of severe nature" - saving of Rs.142662.27 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.180000.00 lakhs) was due to adjustment of funds released during the year 2006-07 on provisional basis by the (High Level Committee) HLC.

(IV) Under Major Head "3601" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Non-Plan Grants-Social Services- Upkeep of Shrines, Temples etc.-Assistance for development of Golden Temple complex" - saving of Rs.210.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2750.00 lakhs) was due to receipt of less proposals from Ministry of Home Affairs.

(B) "Grants for State Plan Schemes- Block Grants" -

(a) "Nutrition Programme for Adolescent Girls(NPAG)" - saving of Rs.10248.39 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.16277.00 lakhs) was due to receipt of less proposals from Ministry of Women and Child Development.

(b) "National E-Governance Action Plan(NEGAP)" - saving of Rs.23164.30 lakhs (against the sanctioned provision of

लाख रु. की बचत (50000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से कम प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

3. उपर्युक्त बचतें मुख्य शीर्ष ''3601'' - ''राज्य योजना स्कीमों के लिए अनुदान - एकमुश्त अनुदान'' के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गईं:-

(I) ''विशेष केंद्रीय सहायता - सीमा क्षेत्रा विकास'' - 6000.00 लाख रु. का अधिक व्यय (52000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(II) ''बाह्य रूप से सहायताप्राप्त परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त केंद्रीय सहायता'' - 150000.00 लाख रु. का अधिक व्यय (अगस्त, 2007, नवंबर, 2007 और मार्च, 2008 में प्राप्त किए गए 204050.00 लाख रु. के पूरक अनुदान सहित 244400.00 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

(III) ''विशेष योजना सहायता'' - 38967.80 लाख रु. का अधिक व्यय (263700.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय स्कीम के अंतर्गत अधिक प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुआ।

(IV) ''त्वरित सिंचाई हितलाभ कार्यक्रम और अन्य जल संसाधन कार्यक्रम'' - 131370.94 लाख रु. का अधिक व्यय (मार्च, 2008 में प्राप्त किए गए 68629.00 लाख रु. के पूरक अनुदान सहित 426629.00 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्कीम के अंतर्गत मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित वित्त पैकेज और अन्य घटकों को पूरा किए जाने के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

4. अनुदान के पूंजीगत भाग के *प्रभारित* अंश में, कुल बचतें (*100014.78 लाख* रु.) अगस्त, 2007, नवंबर, 2007 और मार्च, 2008 में प्राप्त किए गए *313467.00 लाख* रु. के पूरक *विनियोग* का 32 प्रतिशत और कुल

Rs.50000.00 lakhs) was due to receipt of less proposals from Ministry of Communication and Information Technology.

3. The above savings were partly offset by excess under Major Head “3601” - “Grants for State Plan Schemes - Block Grants” - under the following heads:-

(I) “Special Central Assistance-Border Area Development” - excess of Rs.6000.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.52000.00 lakhs);

(II) “Additional Central Assistance for externally aided projects” - excess of Rs.150000.00 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.244400.00 lakhs including supplementary grant of 204050.00 lakhs obtained in August, 2007, November, 2007 and March, 2008); and

(III) “Special Plan Assistance” - excess of Rs.38967.80 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.263700.00 lakhs).

Excess under the above three heads was due to receipt of more proposals under the scheme.

(IV) “Accelerated Irrigation Benefit Programme and other Water Resources Programme” - excess of Rs.131370.94 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.426629.00 lakhs including supplementary grant of Rs.68629.00 lakhs obtained in March, 2008) was due to requirement of additional funds to meet finance package and other components approved by the Cabinet under the scheme.

4. In the *charged* portion of the capital section of the grant, the overall savings (*Rs.100014.78 lakhs)* constituted 32 percent of the supplementary *appropriation* of *Rs.313467.00 lakhs* obtained in August, 2007, November, 2007 and March, 2008 and 13 percent of the total sanctioned *appropriation*.

स्वीकृत *विनियोग* का 13 प्रतिशत थीं।

Saving occurred under the following major head:-

शीर्ष / Head			कुल विनियोग Total appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष ''7601'' *राज्य सरकारों को कर्ज तथा उधार*	Major Head "7601" *Loans and Advances to State Governments*				
मू.	*O.*	*428650.00*			
पू.	*S.*	*313467.00*	*742102.22*	*642102.22*	*–100000.00*
पु.	*R.*	*–14.78*			

बचत निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुई:-

(I) *100000.00 लाख रु.* का पूरक *विनियोग ''अर्थोपाय अग्रिम - अन्य अर्थोपाय अग्रिम''* के अंतर्गत राज्य सरकारों से प्रस्तावों के प्राप्त न होने के कारण एक मामले में पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(I) Supplementary *appropriation* of *Rs.100000.00 lakhs* remained wholly unutilised in one case under *"Ways and Means Advances - Other Ways and Means Advances"* - due to non-receipt of proposals from the State Governments.